[illegible]

[illegible]

[illegible]

मुकदमा संख्या [illegible] / 2017

1. सुमित कुमार पुत्र भूपसिंह जाति जाट निवासी [illegible] जिला [illegible]

बनाम

1. भूपसिंह पुत्र हजारीराम
2. अमित कुमार पुत्र भूपसिंह
3. सतीश पत्नी भूपसिंह
4. सुनीता पुत्री भूपसिंह

जाति जाट [illegible] निवासी [illegible] जिला [illegible]

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुंशी [illegible] सिंह [illegible] के समक्ष सुनवाई हेतु पेश हुआ जिसमें अभिवक्ता [illegible] द्वारा प्रार्थना की गई कि जामिन मुद्दई की विरुद्ध मानी, अभिवक्ता प्रतिवादीगण जिन जामिन मुद्दई को विरुद्ध मानी, [illegible] 1 होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से बक व 8 बीडीओआर के खाता संख्या 84/70 में अंकित कुल 2.4064 है आराजी में से 0.7564 है भूमि का वादी संख्या 0.7564 है आराजी का प्रतिवादी संख्या 2 की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व हुक्म अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादी सब प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से अंकन कर प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा में से 1.5128 है भूमि कम कर शेष 0.8864 है आराजी प्रतिवादी संख्या 1 की मालकान रखी जावे। बैंक हित सुरक्षित रखते हुए अंकन आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

नित्य नित्य मुस्तिक नित्य सावत नित्य खर्चा मुकदमा के मद मुद्दा का शरह पीरवी मालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक 10.8.2017 अदा करें।

बसबब मेरे दस्तखत पर मुहर अदालत से दिनांक 10.8.2017 को राजस्व लोक अदालत न्यायालय आपके द्वारा 2017 कैम्प कोर्ट ग्राम मलायल तहसील में जारी किया गया।

([illegible])
[illegible]
[illegible]

Scanned by CamScanner